

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

GCMS No. 2021 / 191  
Manual no- 89 / 2021

(Bank Case)

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय-19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित है ।

- प्रार्थी / सिक्क्योर क्रेडिटर

बनाम

1. M/S MEDIKING CHEMIST AND DRUGGIST (ऋणी / बंधककर्ता)  
THOUGH ITS PROPRIETOR MR. MAHESH KUMAR SHARMA, OPP. P.H.C.  
VILLAGE AAWAN, TEHSIL KANWAS, KOTA, RAJASTHAN-325602  
पता- 10-F-24 PRIJAT YOJANA, MAHAVEER NAGAR-3, KESHAVPURA, PIP  
KOTA, RAJASTHAN-324005
2. MR. MAHESH KUMAR SHARMA S/O HEERA SHARMA  
पता- 10-F-24 PRIJAT YOJANA, MAHAVEER NAGAR-3, KESHAVPURA ,  
PIP,KOTA (सहऋणी / बंधककर्ता)
3. MS. SHEELA SHARMA W/O MAHESH KUMAR SHARMA  
पता-10-F-24, PRIJAT YOJANA, MAHAVEER NAGAR-3, KESHAVPURA,  
PIP,KOTA
4. MR. PALLAV SHARMA S/O MAHESH KUMAR SHARMA  
पता- 10-F-24 PRIJAT YOJANA, MAHAVEER NAGAR-3, KESHAVPURA,  
PIP,KOTA
5. M/S AXIS BRICKS THROUGH ITS PROPRIETOR MR. PALLAV SHARMA S/O  
MAHESH KUMAR SHARMA  
पता-10-F-24 PRIJAT YOJANA, MAHAVEER NAGAR-3, KESHAVPURA,  
PIP,KOTA

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 28.09.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी " एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय-19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित है, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 02.09.2015 को 1,00,00,000/- (अक्षरे एक करोड़ रुपये मात्र) व दिनांक 22.10.2020 को 6,52,604/- (अक्षरे छः लाख बावन हजार छः सौ चार रुपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्क्योरिटी के रूप में बंधक अचल सम्पत्ति MR. MAHESH KUMAR SHARMA S/O HEERA SHARMA & MS. SHEELA SHARMA W/O MAHESH KUMAR SHARMA की सम्पत्ति-10- F-24, MAHAVEER NAGAR-3, PARIJAT COLONY, KOTA, जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 215.66 वर्ग मीटर है। जिसकी चर्तु सीमाएं- पूर्व में -रोड, पश्चिम में- 10-एफ-5, उत्तर में- 10-एफ-25, दक्षिण में- 10-एफ-23 को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 30.11.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के




2/ मजिस्ट्रेट

खाता संख्या 1721901410002627 मे बकाया राशि 1,07,03,785/- (अक्षरे एक करोड, सात लाख, तीन हजार सात सौ पिच्चासी रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 19.04.2021 तक शेष देय है व दिनांक 20.04.2021 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे आदि एवं खाता संख्या 9001231621834732 मे बकाया राशि 7,33,924/- (अक्षरे सात लाख, तैतीस हजार नौ सौ चौबीस रूपये मात्र) दिनांक 18.04.2021 तक शेष देय है व दिनांक 19.04.2021 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे कुल बकाया रकम 1,14,37,709 (अक्षरे एक करोड, चौदह लाख, सेतीस हजार सात सौ नौ रूपये मात्र) पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 19.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 19.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 19.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता MR. MAHESH KUMAR SHARMA S/O HEERA SHARMA & MS. SHEELA SHARMA W/O MAHESH KUMAR SHARMA की सम्पत्ति-10-F-24, MAHAVEER NAGAR-3, PARIJAT COLONY, KOTA, जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 215.66 वर्ग मीटर है। जिसकी चर्तु सीमाएं- पूर्व में -रोड, पश्चिम में- 10-एफ-5, उत्तर में- 10-एफ-25, दक्षिण में- 10-एफ-23 का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हसब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 28.09.2021 को सुनाया गया ।

  
(उज्ज्वल राटोड़)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राजो)